



## ग्राम कार्य योजना (वी.ए.पी.)

जल संबंधी उन सभी गतिविधियों की पहचान करना जो ग्राम समुदाय की 'जीवन सुगमता' को बेहतर बनाने में मदद करती है। (ग्राम पंचायत और/ या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि द्वारा तैयार की जानी है और वी.डब्ल्यू.एस.एम. के प्रस्तुत किए जाने से पहले ग्राम सभा में अनुमोदित की जानी है। आई.एस.ए. द्वारा मार्गदर्शन सहायता प्रदान की जानी है)

1. तैयारी की तारीख: \_\_\_\_\_

ग्राम सभा में अनुमोदन की तारीख: \_\_\_\_\_

डी.डब्ल्यू.एस.एम. के प्रस्तुत किए जाने की तारीख: \_\_\_\_\_

2. ग्राम का नाम: वी.ए.पी.

ग्राम पंचायत का नाम: लीकरी

ब्लॉक का नाम: भुरापुर्वापुर

निला का नाम: भुरापुर्वापुर

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश

ग्राम जनगणना कोड: \_\_\_\_\_

(यदि लागू हो तो, वस्तियों की संख्या और उनके नाम)

I. ग्राम पंचायत संकल्प

3. ग्राम समुदाय की आकृता : ..... (संख्या) मवेशी कुड़ों को और ..... (संख्या) कपड़े धोने/स्लान करने के स्थानों को जल आपूर्ति करने सहित प्रतिदिन नियमित आधार पर अर्थात ..... घन्टे निर्धारित गुणवत्ता \* वाले.... एल.पी.सी.डी. जल की आपूर्ति वर्ष ..... तक ..... ग्रामीण परिवारों को उपलब्ध कराने के लिए एफ.एच.टी.सी. प्रदान करना

हम, ग्राम समुदाय के लोग, अपनी अंतर्गत जल आपूर्ति अवसरण्या के अपनात्म, प्रबंधन, प्रशासन और रख-रखाव की जिम्मेदारी लेते हैं। हम अपने जल निकायों का सम्मान करेंगे और उनकी रक्षा करेंगे और उन्हें संदूषित नहीं करेंगे। हम अपने गंदले जल की व्यवस्था करेंगे और अपने मौठे पानी को बचाएंगे।

यह संकल्प लिया जाता है कि पूँजी लागत का \_\_\_\_ %, प्रधानमन्त्री और रख-रखाव लागत के परिणित हिस्से का भुगतान किया जाएगा और जल आपूर्ति प्रणाली के प्रबंधन में योगदान किया जाएगा।

\* पानी की गुणवत्ता का प्रमाण पढ़ यी.एच.डी. आर.डब्ल्यू.एस. विभाग द्वारा जारी किया जाएगा।

II. ग्राम पंचायत और/ या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि का विवरण

4. कौन सी समिति गाँव में जल आपूर्ति योजना की आयोजना, कार्यान्वयन, प्रबंधन, प्रधानमन्त्री और रख-रखाव का नेतृत्व करेगी? (ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति):

समिति को क्या कहा जाता है: एच.जल.व्हाइट समिति वी.ए.पी.

अध्यक्ष का नाम: मोहन राई

लिंग: \_\_\_\_\_

आयु: ५२ वर्ष

| संघर्ष नाम      | तिथि | मात्रा |
|-----------------|------|--------|
| ① मौर रहिया     | ५०   | ५२००   |
| ② माविद हुड्येन | ५    | ५१०    |
| ③ रहीझुल        | ५    | ३८१    |
| ④ भांसीगु       | ५    | ३१५    |
| ⑤ नामिम         | ५    | ५०५    |
| ⑥ राहित मुली    | ५    | ५१०    |
| ⑦ अख्तर अली     | ५    | ५२५    |
| ⑧ लालु गांव     | ५    | ५१५    |
| ⑨ संलग्न        | ५    | ५२०    |

## III. सामान्य विवरण

6.

2011 की जनगणन के अनुसार:

जनसंख्या: \_\_\_\_\_  
परिवारों की संख्या: \_\_\_\_\_  
महिलाओं की संख्या: \_\_\_\_\_  
पुरुषों की संख्या: \_\_\_\_\_  
बच्चों की संख्या: \_\_\_\_\_  
एफ.एच.टी.सी. की संख्या: \_\_\_\_\_

वर्तमान पंचायत/ आंगनबाड़ी रिकॉर्ड के अनुसार:

वर्तमान जनसंख्या: \_\_\_\_\_  
परिवारों की संख्या: \_\_\_\_\_  
महिलाओं की संख्या: \_\_\_\_\_  
पुरुषों की संख्या: \_\_\_\_\_  
बच्चों की संख्या: \_\_\_\_\_  
एफ.एच.टी.सी. की संख्या: \_\_\_\_\_

## 7. जनसंख्या अनुमान:

मध्यवर्ती चरण - वर्तमान से 15 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 18% वृद्धि): \_\_\_\_\_ किलोलीटर/दिन (के.एलडी.) अंतिम चरण - वर्तमान से 30 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 32% वृद्धि): \_\_\_\_\_ किलोलीटर/दिन (के.एलडी.)

## 8. वर्तमान मवेशी संख्या (पशुपालन रिकॉर्ड): \_\_\_\_\_

9. कृषि फसल पैटन: दूध, राखीछ

| प्रमुख पर्याप्ति | वरोन                                | रवी                                 |
|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| गन्ना            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| धान              | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| मक्का            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| कपास             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| गेहूँ            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| अन्य             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |

## 10. औसत जिला वर्षा (मि.मी. मी): \_\_\_\_\_

11. स्थलाकृति (समतल, ढलान, आदि): स्थलाकृति

## IV. स्थिति विश्लेषण

## 12. क्या सप्ताहन मानचित्रण किया गया है? (हाँ / नहीं)

("ग्राम कार्य योजना" के साथ मानचित्र संलग्न करें)

## 13. क्या सामाजिक मानचित्रण किया गया है? (हाँ / नहीं)

("ग्राम कार्य योजना" के साथ मानचित्र संलग्न करें)

| प्र. सं. | सर्वदानिक वर्षाका वार्ष | प्रति वर्ष वर्षाका वार्ष | प्रति वर्ष वर्षाका वार्ष | सोसाइटी की उपलब्धता? (हाँ/नहीं) |
|----------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 1.       | सूख                     | ८०                       | ८०                       | ८०                              |
| 2.       | आंगनबाड़ी               | ११                       | ११                       | ११                              |
| 3.       | स्थानीय केन्द्र         | ११                       | ११                       | ११                              |
| 4.       | ग्राम पंचायत भवन        | १                        | १                        | १                               |
| 5.       | अन्य                    | १                        | १                        | १                               |



### पानी की कुत दैनिक आवश्यकता

15. पानी की वर्तमान आवश्यकता - जनसंख्या X दर: 3 के.एल.डी.  
 मरेशियों के लिए पानी की वर्तमान आवश्यकता: 4 के.एल.डी.  
 मरेशी कंडू की आवश्यक संख्या: \_\_\_\_\_  
 मध्यवर्ती घरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या X दर: 3 के.एल.डी.  
 अंतिम घरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या X दर: 2 के.एल.डी.

### पानी की आपूर्ति का इतिवृत्त

16. गाँव में पानी की आपूर्ति/उपलब्धता का इतिवृत्त, सूखा/अक्षय/घक्कवात/बाढ़ या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा का पैटर्न,  
 पानी की उपलब्धता को सामान्य प्रवृत्ति:

17. आपातकालीन व्यवस्था का कोई इतिवृत्त जैसे टंकियाँ, रेत गाड़ियाँ आदि के माध्यम से पानी की आपूर्ति।

18. पानी की आपूर्ति से संबंधित आंशिक कार्य, स्रोत को मजबूत करने का इतिवृत्त

19. जल जनित रोगों का इतिवृत्त:

### पानी की गुणवत्ता

20. फ़िल्ड परीक्षण किट / वायत का उपयोग करके समुदाय के साथ जल गुणवत्ता की चौकसी के लिए अभिनिर्धारित तरीके: \_\_\_\_\_

21. सैनिटी निरीक्षण के लिए अभिनिर्धारित तरीके:

22. जल आपूर्ति योजना में इस्तेम्हाल किए जाने वाले मौजूदा/प्रस्तावित पेयजल स्रोत (स्रोतों) के पानी की गुणवत्ता: स्रोत का नाम (अवस्थिति): नहरू पर प्रसरित

| आपूर्ति                 | तरीका            | परिणाम |
|-------------------------|------------------|--------|
| गंदगी                   | दृश्य तुलना      |        |
| पीएच                    | पहीं रंग तुलना   |        |
| पूर्ण लवण्यता           | ट्रिमेट्रिक विधि |        |
| पूर्ण क्षारीयता         | ट्रिमेट्रिक विधि |        |
| कलोराइड                 | ट्रिमेट्रिक विधि |        |
| अमोनिया                 | दृश्य रंग तुलना  |        |
| फास्फेट                 | दृश्य रंग तुलना  |        |
| अवशिष्ट क्लोरीन         | दृश्य रंग तुलना  |        |
| आयरन                    | दृश्य रंग तुलना  |        |
| नाइट्रेट                | दृश्य रंग तुलना  |        |
| फ्लोराइड                | दृश्य रंग तुलना  |        |
| आर्सेनिक (हॉटस्पॉट में) | दृश्य रंग तुलना  |        |

### कपड़े धोने / स्नान करने का स्थान

23. यह संभावना है कि गाँव के कुछ ग्रीब इलाकों में कपड़े धोने के लिए और/या नल कनेक्शन के लिए पर्याप्त जगह न हो। ऐसे अभिनिर्धारित स्थानों की संख्या, जिनमें कपड़े धोने/स्नान करने के स्थान उपलब्ध कराए जाने हैं: \_\_\_\_\_

| अवस्थिति का नाम | स्रोत की संख्या | आवादी |
|-----------------|-----------------|-------|
|                 |                 |       |

**सोत स्थायित्व**

24. भू-जल सोत के मामले में, क्या बोरवेल रिचार्ज संरचना है? (हाँ/नहीं)
25. गांव में उन मौजूदा जल भंडारों की सूची जिनका कार्याकल्प/मरम्मत कार्य किया जाना आवश्यक है:

**गंदला जल का प्रबंधन**

26. उत्पन्न गंदला जल (जल आपूर्ति का 65%): 55 के.एल.डी.

अलग-अलग सोखता गड्ढों वाले परिवारों की संख्या: \_\_\_\_\_

उन परिवारों की संख्या जिन्हें सोखता गड्ढों की आवश्यकता है: 9

आवश्यक सामुदायिक सोखता गड्ढों की संख्या: 6

क्या अपरिषट तलाश तालाब की आवश्यकता है? (हाँ/नहीं): \_\_\_\_\_

यदि हाँ, तो क्या इसके लिए स्थान अभिनिधारित किया गया है: \_\_\_\_\_

यदि नहीं, तो गंदला जल प्रबंधन के कैनै से अन्य उपायों को अपनाया जाना चाहिए? \_\_\_\_\_

**V. जल आपूर्ति योजना**

27. निम्नलिखित में से किस श्रेणी के तहत एफ.एच.टी.सी. प्रदान किए जाएंगे:

- अंतिम छोर तक पहुँच के लिए पूर्ववर्ती एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. के तहत शुरू की गई योजनाओं की रेट्रोफिटिंग
- पूर्ण हो चुके आर.डब्ल्यू.एस. की रेट्रोफिटिंग ताकि इसे जे.जे.एम. के अनुकूल बनाया जा सके
- निर्धारित गुणवत्ता वाले पर्याप्त भू-जल/सिंग वाटर स्थानीय या धरातली जल वाले गांवों में एस.वी.एस.
- शोधन की आवश्यकता वाले किन्तु पर्याप्त भू-जल वाले गांवों में एस.वी.एस.
- वाटर बिड/सेवीय जल आपूर्ति योजनाओं वाले एम.वी.एस.
- मिनी सौर ऊर्जा आधारित पी.डब्ल्यू.एस. जो एकन्त/आदिवासी बसितों में स्थित है

28. अभिनिधारित जल सोत: \_\_\_\_\_ तकनीकी-आर्थिक और सामाजिक-आर्थिक मूल्यांकन के आधार पर प्रस्तावित जल आपूर्ति योजना: एर एर नल से जल

इस योजना के लिए अभिनिधारित भूमि: हॉट

वह तारीख, जिस पर यह भूमि पी.एच.ई.डी./आर.डब्ल्यू.एस. विभाग को सौंप दी जाएगी: \_\_\_\_\_

योजना की लागत: \_\_\_\_\_ भारत सरकार का हिस्सा: \_\_\_\_\_ राज्य का हिस्सा: \_\_\_\_\_

समुदाय का हिस्सा: \_\_\_\_\_ व्यक्तिगत घरेलू अंशदान: \_\_\_\_\_

वार्षिक प्रचालन व संरखाव शुल्क: \_\_\_\_\_ व्यक्तिगत घरेलू मासिक जल शुल्क:

प्रयोक्ता शुल्क: 30 - 50 रुपये कोई दूसरा बसावट हो तो, अभिनिधारित पी.डब्ल्यू.एस.: \_\_\_\_\_

**VI. मेल-जोल**

(निम्नलिखित तालिका में उन संभावित योजनाओं का उल्लेख किया गया है जिसके तहत गतिविधि/ निषि मेल-जोल संभव है। याम समुदाय द्वारा याम की आवश्यकताओं के अनुसार अभिनिधारित योजनाओं के प्रस्ताव भेजे जाने हैं।)

| योजना का नाम   | जेनरल वर्कर्स का सिवाय  | संभावित निविधियों जो यह की जा सकती हैं  | प्रस्तावित निषि |
|--|---|---|-----------------|
| पौराण्य वित्त आयोग<br>स्वयं भारत<br>मिशन - गणीण<br>(एस.वी.एम.-जी.)<br>एम.जी.एम.आर.ई.जी.एस. | गांव पर्याप्त<br>पेयजल और स्कॉर्षर विभाग,<br>जल नियंत्रित मंत्रालय<br>गणीण विकास मंगलम् | वाटर मैनेजमेंट,<br>इंजेशन सिस्टम आदि।<br>ऐ-लाशर मैनेजमेंट सेंटर गढ़वा<br>(व्यक्तिगत / समुदायिक),<br>अपरिषट तलाश तालाब आदि।<br>प्रकृतिक समाधान प्रबंधन (जल.आप.एम.)<br>घटक के तहत सभी जल<br>संरक्षण निविधियाँ | प्रस्तावित निषि |



| योजना का नाम   | सेन्ट्रलरेज्य सरकार का विभाग                         | संमीकृत नियमित्यों जो भूम की जा सकती हैं   | प्रस्तुतिपूर्ण लिपि |
|--|--|--|---------------------|
| एकीकृत बाटररोड प्रवेशन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एस.पी.)                   | भूमि संसाधन विभाग                                    | वाटररोड प्रांगण आर.डब्ल्यू.एस./ कृषि फुलारण, जल निकायों का निर्माण वृद्धि आदि।                             |                     |
| जल मंडरों की स्थापना, नदी विकास और जीणांद्वारा                         | जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग           | वे जल मंडरों का जीणांद्वारा  |                     |
| राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वई.)                              | कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण                       | वाटररोड से संबंधित कार्य   |                     |
| प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वई.)                       | कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय              | जल की अधिक खपत वाली विभिन्न फसलों के लिए सक्षम-सिंचाई का प्रावधान, एकीफस से जल की निकासी को कम करने के लिए |                     |
| क्षात्रिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण                    | पर्यावरण, जल और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय             | क्षीकरण, जल परिस्थितिकी संबंधी पुनर्जनन, बाटररोड विकास, आदि।   |                     |
| प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पी.एम.के.एस.वई.)                        | कौशल विकास और उद्योगिता मंत्रालय                     | आर.डब्ल्यू.एस. योजनाओं के लिए आवश्यक मानव संसाधनों के लिए कौशल विकास, प्रशिक्षण आदि                        |                     |
| सम्बन्धित  | संसाधन संसाधन विकास मंत्रालय                         | सम्बन्धी ने भेदभाव अपूर्ति का प्राप्त्यान  |                     |
| आकांक्षी जिला कार्यक्रम  | नीति आयोग  | जिला कलेक्टर के पास उपलब्ध विकासीन निधियों के लक्ष जल संरक्षण गतिविधियाँ                                   |                     |
| जिला लैनिज विकास नियम (टी.एम.एफ.)                                      | राज्य  | इसे ऐप्प्ली पर जल संरक्षण गतिविधियाँ   |                     |
| एम.पी.एल.एडी.  | साइडली और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) | अंतराम अवसरणना   |                     |
| एम.एस.ए.ए.ए.पी.  | राज्य  | अंतराम अवसरणना   |                     |
| संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुटान/जनजातीय उप योजना (टी.एस.एस.) | जनजातीय मामलों का मंत्रालय और राज्य                  | अंतराम अवसरणना   |                     |
| दग्धदाता योजना   |  |  |                     |

अध्यक्ष का हस्ताक्षर: *m P Rao*

पी.एच.ई.डी.आरडब्ल्यू.एस. विभाग के अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर: \_\_\_\_\_

आई.एस.ए. प्रतिनिधि का नाम और हस्ताक्षर (यदि लागे हो): \_\_\_\_\_

## संपर्क विवरण

गाम पंचायत और या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./पानी समिति/प्रयोक्ता समूह, आदि का अध्यक्षः  
पंचायत सचिव का नाम और फोन नंबरः

जमीनी तकनीशियन का नाम और फोन नंबरः

पानी की गुणवत्ता की चौकसी सुनिश्चित करने के लिए पांच महिलाओं के नाम और फोन नंबरः

1. श्रीमति श्री० विजय
2. श्रीमति श्री० ईश्वर
3. श्रीमति श्री० आलिना
4. श्रीमति श्री० बिजेता
5. श्रीमति श्री० लक्ष्मी

पप अॅप्पेटर का नाम और फोन नंबर

नानि गांव ४०० ३०४४८८८८

